

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/17513

दिनांक:-23/7/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा वर्ग एवं सफाई संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
01.	श्री भैरु सिंह	लिपिक ग्रेड (II)	साँचौर	आबूरोड़
02.	श्री भैरु सिंह तँवर	लिपिक ग्रेड (II)	बड़ीसादड़ी	छोटीसादड़ी
03.	श्री अशोक कुमार कारेल	कनिष्ठ लिपिक	विराटनगर	राजाखेड़ा
04.	श्री सुरेश/श्री हरीराम	सफाई कर्मचारी	मेड़तासिटी	डेगाना
05.	श्री सन्नी/श्री धमेन्द्र	सफाई कर्मचारी	बालोतरा	जोधपुर
06.	श्री चेतन कुमार	सफाई कर्मचारी	जयपुर	चाकसू

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

- 01.स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- 02.स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- 03.यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- 04.यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/17514-548

दिनांक:-23/7/18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....
.....।
04. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग,.....।
05. श्री/श्रीमतीको पालनार्थ।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)

उप निदेशक (प्रशासन)